

21-5-24

फरावली वेश कुंडी न्यामालम हाजा को राजस्थान
 भारतकारी आधि नियम 1955 को सुनने का क्षेत्र
 आधिकार है। चूंकि अपील द्वारा 75-लेण्ड रेवेन्यू
 रकम को मन्तगीत आती है एवं न्यामालम हाजा को
 इसका क्षेत्राधिकार नहीं होने से न्यामालम उपखण्ड
 आधिकारी गिर्वा को पुनः लौटाया जा रहा है।
 प्रकरण आगामी पेशी दिनांक 2-7-24 को पेश है।

[Handwritten signature]

